(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1556-पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 08-02-2013 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर, प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/2012-13

निकलेश पिता स्व0 श्री रतनलाल जी जैन
निवासी 16-बी, बख्तावरराम नगर,
इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

पी0डी0अग्रवाल एण्ड कम्पनी
तर्फे श्री प्रभुदयाल पिता श्री भूरेलालजी अग्रवाल
निवासी 6 जॉय बिल्डर्स कॉलोनी
इंदौर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्रकुमार, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक - एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-02-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अनावेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मुण्डला नायता स्थित भूमि सर्वे नम्बर 117/1, 117/2, 119/1/1 रकबा क्रमश: 0.809, 0.214, 0.073 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के स्वामित्व की है जिसका सीमांकन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 117/2 का अंश रकबा 0.100 हेक्टेयर भूमि आवेदक के कब्जे में है । अत: अनावेदक द्वारा सर्वे नम्बर 117/2 अंश रकबा 0.100 हेक्टेयर भूमि पर से आवेदक का कब्जा हटाया जाकर अनावेदक को उक्त भूमि पुन: कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-70/2012-13 दर्ज कर दिनांक 8-2-2013 को आदेश पारित कर सीमांकन किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) सीमांकन की सूचना उभयपक्ष को दी जाना विधिक आवश्यकता है, परन्तु आवेदक को सूचित किये बगैर सीमांकन किया गया है, प्रकरण में संलग्न पंचनामा और सूचना पत्र से यह स्पष्ट है कि उन पर कहीं भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक के प्रीडीसेसर चंदाप्रभु होम्स प्रा0लि0 ने भूमि खसरा क्रमांक 119/1 पैकि रकबा 0.280 हेक्टेयर स्थित ग्राम मुण्डला नायता की कृषि भूमि दिनांक 6-9-2000 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी और उनसे आवेदक ने दिनांक 30-9-05 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जर्ये अन्य भूमियों के साथ भूमि खसरा क्रमांक 119/1 का बटांकित खसरा नम्बर 119/1/2 रकबा 0.280 हेक्टेयर के रूप में क्रय किया गया । उक्त क्रय की गई भूमि में सर्वे नम्बर 117/2 पैकि रकबा 0.100 हेक्टेयर वर्ष 2000 के पूर्व से ही सम्मिलित रही होकर सर्वे नम्बर 117/2 पैकि रकबा 0.100 हेक्टैयर वर्ष 2000 के पूर्व से ही आवेदक व उसके पूर्व हितधारियों के आधिपत्य में रहा है और वर्तमान में भी है । इस प्रकार से दिनांक 6-9-2000 से ही अनावेदक के ज्ञान में आवेदक के कब्जे की जानकारी अनावेदक के ज्ञान में चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सीमांकन की आड़ में अनावेदक आवेदक की भूमि में हस्तगत करना चाहता है जो अवैध है ।

उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन अपास्त किया जाकर पुनः उभयपक्ष को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन बनाया गया है जिसमें उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर है । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था किन्तु उसके द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-02-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर